भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2630

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

आरटीई अधिनियम के तहत गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क सीटों का कोटा

†2630. **श्री तमिलसेल्वन थंगा:**

डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत गरीब बच्चों/आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के लिए 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों के कोटे में प्रवेश नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार के पास आरटीई अधिनियम के अंतर्गत गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट कोटा प्रदान करने के लिए उचित नियम और विनियम बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों के कोटे के कार्यान्वयन को "राष्ट्रीय मिशन" नाम दिया है और सरकार को आरटीई अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट और लागू करने योग्य नियम बनाने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिदेश का वास्तव में जमीनी स्तर पर पालन किया जाए और इसके अलावा यह भी कहा है कि समुचित नियमों के बगैर, संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वादा केवल कागजों पर ही रह जाने का खतरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि आरटीई अधिनियम के अंतर्गत देशभर के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें अनिवार्य रूप से भरी जाएं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): आरटीई अधिनियम**,** 2009, समुचित सरकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के संबंध में अधिदेशित करता है। आरटीई अधिनियम सम्पूर्ण देश में लागू है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं जो

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार हैं।

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) में दुर्बल वर्गों और अलाभित समूहों से संबंधित बच्चों को कक्षा 1 (या उससे नीचे) में प्रवेश देने का प्रावधान है, जो कि धारा 2 के खंड (ढ़) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट स्कूलों में उस कक्षा की कम से कम 25 प्रतिशत संख्या तक है। इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अलाभित समूहों और दुर्बल वर्गों, प्रति बच्चे की लागत और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश शुरू करने तथा एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना को अधिसूचित करना अपेक्षित है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 (2) में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को धारा 12 (1) (ग) के तहत बच्चों को प्रवेश देने के लिए प्रतिपूर्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान है।

(घ): वर्ष 2017 में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10105 दिनेश बिवाजी अस्तिकार बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य शीर्षक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 1 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 के तहत उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक "पड़ौस के स्कूल" में हमारे समाज के दुर्बल और अलाभित समूहों के बालकों को प्रवेश देने संबंधी बाध्यता में हमारे समाज की सामाजिक संरचना को रूपांतरित करने की असाधारण क्षमता है। एक दृढ़ संकल्प कार्यान्वयन वास्तव में परिवर्तनकारी हो सकता है.....हमने माना है कि ऐसे छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय मिशन और समुचित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण का दायित्व होना चाहिए।"

पैरा 15 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"ऐसे प्रवर्तनीय नियमों और विनियमों के बिना, अनुच्छेद 21क का उद्देश्य और धारा 12 (1) (ग) के तहत सांविधिक नीति अप्रभावी होगी।"

साथ ही, पैरा 16 में, निम्नलिखित देखा गया है:

"उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम समुचित प्राधिकारियों को निदेश देते हैं कि वे अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों के परामर्श से अधिनियम की धारा 38 के तहत आवश्यक नियम और विनियम तैयार और जारी करें।"

(ङ) कक्षा 1 से 8 तक के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित प्रति बच्चा मानदंडों के आधार पर अपने संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र से आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रतिपूर्ति के लिए धन का दावा करते है। केंद्र सरकार परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में अनुमोदित इन दावों की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.01.2026 के निर्णय को देखते हुए, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्णय का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

****